फाइल संख्या-71-1002/20/2022

129/2022/।/245821/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 09 दिसम्बर, 2022

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज एंव सम्बद्ध चिकित्सालय में स्थापित फायर फाइटिंग एवं अलार्म सिस्टम की सी0एम0सी0 कार्य हेतु गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0/मरम्मत हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/547, दिनांक 02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में 2210-05-105-03-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन हेतु 29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2400.00 लाख के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज एंव सम्बद्ध चिकित्सालय में स्थापित फायर फाइटिंग एवं अलार्म सिस्टम एवं गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0/मरम्मत हेतु **रू0 36.58 लाख (रू0 छत्तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

1. अनुरक्षण मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि का सदुपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
2. उपकरणों की ए0एम0सी0 क्रय मूल्य के 03 प्रतिशत सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित दर से की जायेगी।
3. उपकरणों की सी0एम0सी0 अधिकतम 05 प्रतिशत क्रय मूल्य की सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित सी0एम0सी0 की दर से करायी जायेगी।
4. एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय करने से पूर्व दर औचित्य का निर्धारण करना आवश्यक होगा। यदि क्रय के समय निविदा में एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स की दरों का भी अनुमोदन किया गया है तो उसी पर क्रय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु मूल निर्माता/अधिकृत विक्रेता या उसके न होने पर ई-निविदा कराकर ए0एम0सी0 03 प्रतिशत की सीमा तथा सी0एम0सी0 05 प्रतिशत की सीमा में करायी जायेगी।
6. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86, दिनॉक 23.09.2008 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 36,58,000 (रुपये छत्तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक- में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050376 राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन मानक मद -29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 /2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-उपरोक्त तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
5- संयुक्त् सचिव (श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।